प्रेस नोट
दिनांक -24.01.2026

गणतंत्र दिवस ग्रैंड रिहर्सल परेडः-

रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का हुआ ग्रैंड रिहर्सल-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर परेड को बेहतर एवं आकर्षक बनाने के लिए संबंधित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 24.01.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली ग्रैंड रिहर्सल परेड की सलामी ली गयी। तत्पश्चात महोदय द्वारा ग्रैंड रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। ग्रैंड रिहर्सल परेड के दौरान प्रथम परेड कमाण्डर सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ (IPS), द्वितीय परेड कमाण्डर श्री प्रदीप कुमार (प्रशिक्षु IPS), तृतीय परेड कमाण्डर उ0नि0 श्री हृदयानन्द रावत तथा उद्घोषक हेड का0 हृदय नारायण दीक्षित, कां आनन्द भट्ट व म0का0 संगीता दीक्षित सहित सम्पूर्ण परेड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के वरिष्ठ अधिकारियों से गणतन्त्र दिवस के परेड की तैयारियों पर चर्चा करते हुए परेड को और अधिक सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित बनाने के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

77 वाँ गणतन्त्र दिवस समारोह 2026 की रैतिक पुलिस परेड में कुल 08 टोली जिसके अन्तर्गत सशस्त्र पुलिस, नागरिक पुलिस, पुलिस कार्यालय, आरटीसी, महिला पुलिस, पी0ए0सी0 व एन0सी0सी0 व 07 वाहन दस्ते जिसमें मोटर साइकिल दस्ता, पुलिस वायरलेस, डायल यूपी 112, फिल्ड यूनिट, डॉग स्क्वॉड, फायर सर्विस के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त जिम्मेदारियों का अद्भुत/आकर्षक प्रदर्शन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 30वीं वाहिनी गोण्डा के प्रशिक्षित बैण्ड वादकों द्वारा समस्त परेड के दौरान मनमोहक प्रदर्शन किया जायेगा।

77 वाँ गणतन्त्र दिवस समारोह 2026 के रैतिक पुलिस परेड में मुख्य अतिथि द्वारा परेड का मान प्रणाम ग्रहण करेंगे। समस्त परेड के कार्यक्रम की समय सारणी निम्नवत् है-

समय	**कार्यक्रम**
09.00 बजे-	परेड का पुलिस लाइन्स परेड ग्राउण्ड पर आगमन।
09.20 बजे-	पुलिस अधीक्षक का आगमन / परेड द्वारा अभिवादन।
09.25 बजे-	पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा का आगमन/परेड द्वारा अभिवादन।
09.30 बजे-	मुख्य अतिथि का आगमन - ध्वजारोहण।
09.45 बजे-	परेड का मंच से गुजरना।
10.00 बजे-	मुख्य अतिथि/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले अधि0/कर्मचारियों को सम्मानित करना।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ (IPS), प्रशिक्षु IPS श्री प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी लाईन सुश्री शिल्पा वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.01.2026
राष्ट्रीय मतदाता दिवस (24 जनवरी)

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर क्वार्टर गार्द में उपस्थित सभी अधि0/कर्मचारियों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन में मताधिकार प्रयोग करने की दिलाई गयी शपथ-

आज दिनांक 24.01.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्द में उपस्थित सभी अधि0/कर्मचारियों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन में मताधिकार प्रयोग करने की शपथ दिलाई गयी तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने/कराने की शपथ दिलायी गयी, इसी क्रम में महोदय के निर्देशानुसार जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालयों, थानों, चौकियों व अग्निशमन, यातायात कार्यालयों के प्रभारियों द्वारा अपने-अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ
हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.01.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 60,000 - 60,000 के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.08.2022 को थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत निवासी वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी दुर्गेश व राम आसरे द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया गया है । वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी दुर्गेश व राम आसरे को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री संसार सिंह राठी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.12.2023 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना वजीरगंज में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 24.01.2026 को अभियोजक श्री सुनील मिश्र व श्री अशोक सिंह, थाना वजीरगंज के पैरोकार का0 राहुल यादव व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी प्रवीन चन्द्र आर्या व म0आ0 वन्दना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त दुर्गेश व राम आसरे को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रु0 60,000-60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. दुर्गेश उर्फ बाण्ठे चौहान पुत्र घनश्याम चौहान,
02. रामआसरे उर्फ सराऊ पाल पुत्र बृजलाल पाल नि0गण गनेशपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-281/2022, धारा 376डी, 506 भादवि 5छ/6 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)(V) एससी/एसटी अधिनियम थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.01.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जान से मारने की नीयत से अपहरण करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 60,000/- 60,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.06.2021 को वादी कन्हैयालाल तिवारी पुत्र रग्घू नि0 ग्राम भरहापारा (भसमपुर) थाना वजीरगंज, गोण्डा द्वारा अपने लड़के विशाल तिवारी उम्र 05 वर्ष के लापता हो जाने के संबंध में तहरीर दी गई । प्राप्त तहरीर के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0- 208/2021, धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था । जिसमें थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 25.06.2021 को उक्त घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण 01. शिवम राना व 02. जयचन्द के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 10.08.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.01.2026 को थाना वजीरगंज पर पंजीकृत अपहरण संबंधी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना वजीरगंज के पैरोकार कां0 राहुल यादव व कोर्ट मोहर्रिर कां0 धीरेन्द्र कुमार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय, गोण्डा महोदय श्री राजेश कुमार (तृतीय) द्वारा अभियुक्तगण 01. शिवम राना व 02. जयचन्द को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 50,000/- 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-
01. शिवम राना पुत्र सूर्यपाल नि0 बघमरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।
02. जयचन्द पाण्डेय पुत्र श्रीराम पाण्डेय नि0 मौहारी खरगूपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 208/2021, धारा 364ए भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।